

01/12/22

पत्रावली पैदा हुई। पार्श्वी एवं पार्श्वी के
कम्रील को न्यायालय समय में कक कककर
आवाजें लगवायी गई।

पार्श्वी एवं पार्श्वी के कम्रील अनुपाथित हैं एवं
इनकी और से कोई विधिक प्रतिनिधि —
अपस्थित है।

अतः पार्श्वी द्वारा उत्तुत पार्श्वनापष अदम
हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाता
है। पत्रावली फौसक शुमार होकर दस्त जाब्ता
कारखान दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/12/2022 को सुनाया
गया।

4

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर